# जोधपुर सिटीजन

राजस्थान पत्रिका . जोधपुर. शुक्रवार . 01.12.2017 . पेज 02 . rajasthanpatrika.com


### वाणिज्यिक अदालतें बंद करने पर राज्य सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर...

# न्याय प्रणाली ठप करने को चुनौती

## संसद से पारित अधिनियम के तहत पिछले वर्ष सभी जिलों में खोली गई थी वाणिज्यिक अदालतें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

**जोधपुर.** राज्य सरकार की ओर से न्याय प्रणाली का ठप कर दिए जाने के एक और प्रयास का जोधपुर हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने संकल्प पारित करते हुए जमकर मुकाबला करने का इरादा जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने राज्य के विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की सलाह को आधार बताकर राज्य में 20 अप्रेल 2016 से गठित 35 वाणिज्यिक अदालतों को बंद कर पूरे राजस्थान का क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर कर दिए जाने को एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी है।

याचिका के माध्यम से जोधपुर के अनिल भण्डारी, सुनील भण्डारी, रमित मेहता, विनीत दवे, अविनाश आचार्य, रमन खरलिया, दिनेश चौधरी सहित कई अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर से प्रस्तुत जनहित याचिका में कहा गया है कि आमजन को व्यापारिक लेन-देन व आपसी व्यवहार के मामलों की अलग से सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर संसद में पारित अधिनयम के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में वाणिज्यिक कोर्ट खोले गए थे। देखते ही देखते इन अदालतो में सैकड़ों परिवाद इकट्ठे हो गए।

इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ व जयपुर में खण्डपीठ गठित करने की अधिसूचना गत वर्ष 6 मई को जारी की गई।

राज्य के प्रमुख विधि शासन सचिव ने 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर सभी 35 वाणिज्यिक न्यायालयों को खण्डित करने का फरमान जारी कर दिया।

इसके साथ ही पूरे राज्य का एकमात्र क्षेत्राधिकार जयपुर कर दिया गया। इसके साथ ही 24 अक्टूबर को अपर जिला व सेशन न्यायाधीश महानगर जयपुर को वाणिज्यिक न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया।

**जोधपुर हाईकोर्ट में वकीलों की एसोसिएशन ने दायर की जनहित याचिका**

**प्रदेश में खोले गए अन्य वाणिज्यिक न्यायालयों में लंबित है कई मामले**

**केवल राजधानी जयपुर में ही राज्य का क्षेत्राधिकार कर दिया, जज को अतिरिक्त प्रभार**

### क्या है वाणिज्यिक कोर्ट

विधि आयोग की 253 वीं रपट के बाद वर्ष 2015 में वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक डिवीजन व वाणिज्यिक अपीलेट डिवीजन हाईकोर्ट अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। अंतरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए इसे उसी वर्ष संसद के दोनों सदनों में पारित कर अधिनियम बनाया गया। अधिनियम के मुताबिक एक करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 22 प्रकार के वाद जिले में स्थापित वाणिज्यिक न्यायालय में पेश हो सकेंगे। त्वरित व सुलभ न्याय के उद्देश्य व भारत सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में 35 वाणिज्यिक न्यायालय गठित करने की अधिसूचना गत वर्ष 20 अप्रेल को जारी की और 21 अप्रेल को राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसी अनुरूप गठित सभी वाणिज्यिक न्यायालयों में नए वाद दायर हो गए। कई प्रकरण इन वाणिज्यिक न्यायालयों में हस्तांतरित हुए। इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ व जयपुर पीठ में खण्डपीठ गठित करने की अधिसूचना गत वर्ष 6 मई को जारी की गई।

### विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बना अधिनियम

दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव व विधि आयोग की रपट के मुताबिक भारत सरकार ने त्वरित व सुलभ न्याय के उद्देश्य से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। इसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना करने की मंशा जाहिर की गई। अब राज्य में कार्यरत 35 वाणिज्यिक न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय की सलाह के नाम पर बन्द करना समझ से परे है, जबकि इन न्यायालयों में सैकड़ों प्रकरण लम्बित पड़े हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय करने से पहले भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय से कोई सलाह तक नहीं ली गई। याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय के पक्षकार होने से मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे कि कौनसी खण्डपीठ सुनवाई करेगी। अधिवक्ता जोशी के अनुसार सम्भवतः अगले सप्ताह कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और वरिष्ठ अधिवक्ता मघराज सिंघवी, आनन्द पुरोहित व अन्य सहयोगी अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से पैरवी करेंगे।